

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग-ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग) Office of the Executive Engineer, C.D, P.W.D. Ukhimath



E-Mail: ukhimathpwd@yahoo.in

Phone & Fax:- 01364-284239

पञांक

2671

Date 13 / 09/2018

सेवा में,

उपवन संरक्षक,

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग ।

विषय:-

राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 2.06 हैं। वनभूमि का लो।नि।वि। को हस्तान्तरण।

आनलाईन प्रपोजल सं0:- (FP/UK/ROAD/8900/2014)

/13 C

महोदय,

उपरोक्त विषयक अन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना हैं कि उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर लगायी

गरी	गयी आँनलाईन आपत्तियों का निराक्ररण निम्नवत् कर दिया गया हैं:-		
Sl. No	Objections	Clarifications	
1	In the village wise breakup only village Jalai is mentioned in online <u>Part-I where</u> as in FRA certificate village level proceedings are produced for village jalai and Kandara	Neccessary correction has been made In the village wise breakup Part-I, Form-A, Section-B-2.3	
2	In the hard copy the certificate shows that the distance of the proposaed road form wild life sanctuary/ National Park is less than 10 km.	Certificate of Chief Wildlife warden has been attached in additional information Form-A, Part-I.	
3	In DSS analysis it is observed that of the proposed road passes throught the CA area.	Area used in Road alignment and muck disposal is 2.06 Ha. on behalf of that double the area for plantation i.e. 4.12 Ha., And In CA KML the Proposed CA area is 4.41 Ha. in which 0.250 KM area of road passes through CA area which is along 0.175 Ha So the area of Plantation is double the area of Road alignment.	
4	Justification is not authenticated by DFO.	DFO authenticated Justification has been uploaded at para-D (i) in form A, part I.	
5	Administrative approval uploaded online is for the year 2008 and not clear.	Administrative Approval and Financial Sanction for construction of this road uploaded as additional document in Part I issued in the year 2008 is valid in the current year 2018-19. Certificate regarding this validity is uploaded in additional information section. and a clear copy of GO is uploaded.	
6	CA scheme not found uploaded.	CA Scheme uploaded in additional information Form-A, Part-I.	
7	At para 8 (iii) in part–II mentioned Yes and submitted that no negative impact in agriculture field but Chief Wildlife Warden certificate is requird.	Correction to be made by DFO office.	
8	The proposed road has two segments that connect the existing road. One segment is found to connect the village with existing road which appears quite Justified. Other segment links two existing roads and cuts through denes forest thereby is unjustified.	The first segment of Road which passes through forest land connects first Existing road to second existing road in which from second segment of road starts. Second existing road is washed out from both the ends with a critical slide zone which will be closed from last 4 to 5 years and that's why this will be a necessity to the construction of segment 1 of this road for connecting the villages from segment 2 of this proposed road.	

अतः आपसे अनुरोध हैं कि कृपया उक्त प्रस्ताव पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

शंलग्न:- १- वनभूमि की माँग का औचित्य का प्रमाण-पत्र १ न०

- 2- मुख्यजीव प्रतिपालक उत्तराखण्ड का अनापति प्रमाण-पत्र १ न०
- 3- वित्तीय स्वीकृति मान्य होने का प्रमाण-पत्र १ न०

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग

उज्यीमठ, (रुद्रप्रयाष्ट्रि)

कांह्य

/13 C

Date

/ 09/2018

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोड़ल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित। (संलम्न मूल सहित तीन प्रतियों में)

> अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड़ लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ, (रुद्वप्रयाग)

## वनभूमि की माँग का ओचित्य का प्रमाण - पत्र

जनपद-रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बाँसवाड़ा-क्रिशेई-जलई –गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का नव निर्माण किया जाना है, जो बाँसवाड़ा-क्रणसिल-चन्द्रनगर-मोहनखाल मोटर मार्ग के कि॰मी॰ 3.00 से प्रस्तावित हैं। ग्राम- जलई, कण्डारा (गैर) मोटर मार्ग से काफी ऊँचाई पर स्थित होने के कारण वर्तमान में मोटर मार्ग से वंचित हैं, प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम जलई जनसंख्या 1387 एवं कण्डारा (गैर) जनसंख्या 178 मोटर मार्ग से जुड़ जायेगें तथा स्थानीय जनता को आवागमन हेतु यातायात की सुविधा होगी जिससे शिक्षा,स्वास्थ्य व कृषि जैसी सुविधाओं हेतु सीधे तहसील मुख्यालय से सम्पर्क स्थापित हो जायेगा।

अतः ती गयी 2.06 हैं। पँचायती वनभूमि न्यूनतम हैं । तथा संमरेखण का चयन करते इस बात का विशेष ध्यान रखा गया हैं कि समरेखण पर क्रम से कम वनभूमि पड़े तथा न्यूनतम वृक्षों के पातन की आवश्यकता हो ।

्रीमीन निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग

वर्मनेष्ठ अभियन्ता निर्माण खण्ड, त्रोक्त निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

सन्य देशातिकारी अगस्तामुधि देख अगस्तामुधि देख

उप प्रभागीय वहाधिकारी रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग अवस्थानी हो। अवस्थानी हो। अवस्थानी हो। अवस्थानी हो।

## प्रमाण पत्र

उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 347/12—1 दिनांक 24.07.2018 से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित बांसवाड़ा—जलई—गैर—कण्डारा मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु 2.06 है0 वन भूमि केदारनाथ कस्तूरी मृग विहार की सीमा से 7.25 कि0मी0 दूर है।

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य

27/08/18

वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड 85-राजपुर रोड़, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न0-0135-2742884 फैक्स-2745691 हे-मेल- <u>cwlwua@yahoo.co.in</u>

पत्रांक 1538 / 12- | देहरादून

दिनांक 27 अगस्त, 2018

<u>र्ष्रतिलिपि</u>— उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर को उनके पत्रांक 347 / 12—1 दिनांक 24.07.2018 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— अधिशासी अभियंता, निर्माणखण्ड लोक निर्माण विभाग, ऊखीमठ, रूद्रप्रयाग

को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव) / मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

oll

## प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि इस खण्ड़ के अन्तर्गत स्वीकृत जनपद-रूद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्ड़ारा मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 748/III(2)/08-42(प्रा0310)/07 दिनाँक 24-03-2008 द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुयी है। यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी मान्य है।

> अधिशासी अभियन्ता लिर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग उस्वीमठ, (रुद्रप्रयाग)